

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत कोंडागांव जिला के केशकाल वनमण्डल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा 14.772 हेक्टेयर वनभूमि में समस्त पहलुओं की जाँच किया गया है किन्तु अन्य कोई विकल्प वनभूमि के न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टीकोण से उपयुक्त नहीं पाया गया ।

इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक :



हस्ताक्षर

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्बंधित प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत कोंडागांव जिला के केशकाल वनमण्डल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा 14.772 हेक्टेयर वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थल प्रभावित नहीं हो रहे हैं ।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक :



हस्ताक्षर

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

वृक्षों का विदोहन सम्बंधित प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत कोंडागांव जिला के केशकाल वनमण्डल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा 14.772 हेक्टेयर वनभूमि पर किसी भी खड़े वृक्षों का विदोहन नहीं किया जाना है क्योंकि केबल हेतु 0.50 मीटर की चौड़ाई में 1.65 मीटर की गहराई में भूमि गत बिछाया जाना है ।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक :



हस्ताक्षर

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्य आरम्भ नहीं किये जाने सम्बंधित प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत अंतर्गत कोंडागांव जिला के केशकाल वनमण्डल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा 14.772 हेक्टेयर वनभूमि पर 0.50 मीटर की चौड़ाई में 1.65 मीटर की गहराई में भूमि गत बिछाया जाना है।

उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)

दिनांक :



हस्ताक्षर

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

अन्य निर्धारित शर्त सम्बंधित प्रमाण पत्र

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भारतनेट परियोजना अंतर्गत अंतर्गत कौडागांव जिला के केशकाल वनमण्डल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के सामानांतर उनके राइट ऑफ वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में अन्तिम अनुमति में प्रतिरोपित बातों के अलावा यदि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई अन्य शर्त भविष्य में निर्धारित करता है तो कम्पनी उसे मानने के लिए बाध्य होगी।

स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक :



हस्ताक्षर

संयुक्त कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़



क्रमांक/भानेप्रो-II/वनभूमि/एफआरए-अनापत्ति/2019-20/22 रायपुर, दिनांक : 4/11/19

प्रति,

कलेक्टर महोदय,

जिला कार्यालय परिसर, कोंडागांव

जिला - कोंडागांव (छत्तीसगढ़).

विषय : भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के सफल क्रियान्वयन हेतु आपके जिला क्षेत्र के केशकाल वनमण्डल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 13.186 हे. वनभूमि, 1.586 हे. राजस्व वनभूमि, कुल रकबा 14.772 हे. का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वनभूमि का अनापत्ति पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

- संदर्भ : 1) कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, सिविल लाईन्स, रायपुर का पत्र क्रमांक/2803/मुकाअ/चिप्स/2018 रायपुर, दिनांक 07.12.2018 ।
- 2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक-एफ 9-12/2018/1/5 रायपुर, दिनांक 06.04.2018 ।
- 3) कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, सिविल लाईन्स, रायपुर का पत्र क्रमांक/2295/सीईओ/चिप्स/भारतनेट/एमएसआई/2018 रायपुर, दिनांक 06.10.2018 ।
- 4) कार्यालयीन पत्रक्रमांक/टाप्रोलि/ओएफसी/वनभूमि/2019 रायपुर, दिनांक 07.08.2019 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया अवगत हों कि भारत सरकार (BBNL) द्वारा "National Optical Fibre Network Project" अन्तर्गत "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के तहत छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकृत करने हेतु 'मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड' को "कार्यान्वयन सहभागी" नियुक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शासन,

TATA PROJECTS LIMITED

Bharat Net Project, Office No-402, 4th Floor, Offizo, Magneto The Mall, GE Road, Labhandi, Raipur-492001
Mob:-+ 91 7000240007, Email: ajayn@tataprojects.com, www.tataprojects.com

Registered Office Mithona Tower -1- 1-7-80 to 87 Prenderghast Road Secunderabad 500 003 Telangana India
Tel+ 91406673 8801 Fax + 91406617 2535 email: tpl@tataprojects.com www.tataprojects.com
CIN U45203AP1979PLCOS7431



इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ 85 ब्लॉकों के अन्तर्गत 5987 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 32000 कि.मी. ग्राम पंचायतों के मार्गों (ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत) में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कार्य सम्पदा की निःशुल्क राईट-ऑफ-वे की अनुमति प्रदान की गई है ।

अवगत हों कि आपके जिले के केशकाल वनमण्डल अन्तर्गत फरसगांव एवं केशकाल ब्लॉक के अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्गों के समानान्तर वनभूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित वनभूमि का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वनभूमि का अनापत्ति पत्र आवश्यक है ।

साथ ही ज्ञात हो कि चूँकि यह एक Linear Project है, अतएव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक F.No. 11-09/98-FC (Pt.) दिनांक 28 अक्टूबर 2014" अनुसार वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी ग्राम सभा प्रतिवेदन आवश्यक नहीं है । चूँकि प्रस्तावित कार्य एक लिनियर प्रोजेक्ट है एवं मौजूदा मार्ग के राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत बिछाई जावेगी एवं किसी भी वृक्ष अथवा वन सम्पदा तथा शासन द्वारा संचालित सुविधाएँ को क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी । अतः महोदय से अनुरोध है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित **13.186 हे. वनभूमि, 1.586 हे. राजस्व वनभूमि, कुल रकबा 14.772 हे.** का FRA प्रतिवेदन एवं राजस्व वनभूमि का अनापत्ति पत्र मार्ग समानान्तर प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु "CEO छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने की कृपा करें ताकि शासन की महत्वपूर्ण योजना (A Part of Digital India)" का सफल क्रियान्वयन निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जा सके ।

आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन की प्रत्याशा में सादर प्रस्तुत ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(अजय नायक)
प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड
रायपुर (छत्तीसगढ़)



TATA PROJECTS LIMITED

Bharat Net Project, Office No-402, 4th Floor, Offizo, Magneto The Mall, GE Road, Labhandi, Raipur-492001
Mob:-+ 91 7000240007, Email: ajayn@tataprojects.com, www.tataprojects.com

Registered Office Mithona Tower -1- 1-7-80 to 87 Prenderghast Road Secunderabad 500 003 Telangana India
Tel+ 91406673 8801 Fax + 91406617 2535 email: tpl@tataprojects.com www.tataprojects.com
CIN U45203AP1979PLCOS7431